आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता0 .... से .... तक

जिला–सिमडेगा .... सं0 .... सन् 2000

केस का प्रकार अनुमति वाद सं0 ......11...... /2020-21

धारा 46 के अन्तर्गत

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/7/20	आवेदक ...बिपिन किन्डो... पिता/पति ...स्व0 डुनेस किन्डो... ग्राम ...गोतरा पकुरटोली... थाना ...सिमडेगा... जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण की भूमि को प्रस्तावित क्रेता ...ज्योति संध्या सोरेंग... पिता/पति ...श्री एरिक किंडो... ग्राम ...गरजा... थाना ...सिमडेगा... जिला–सिमडेगा, को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत ...भूमि बिक्री... हेतु अनुमति के निमित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है।	

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा / 80	120	3562	1.46 ए0 में से 0.14 ए0

कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) ...चौदह डिसमील... मात्र।
आम इश्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, ...सिमडेगा... से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 5/8/20 को रखें।

(हस्ताक्षर) 18/7/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner

.21 अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक......20.10.21......को उपस्थापित करें।

L.R.D.C.

20.10.21 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। विक्रेता की ओर से स्वंय आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक......16.11.21......को उपस्थापित करें।

L.R.D.C.

16.11.21 अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता की ओर से स्वंय आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। इस वाद में प्रतित होता है कि इसमें विक्रेता को किसी प्रकार कोई अभिरूची नहीं है साथ ही अंचल अधिकारी के द्वारा भी अभी तक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस वाद में काफी लम्बा समय व्यतित हो गया है एवं वाद की कारवाई को और लम्बित रखना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई **समाप्त** किया जाता है। यदि आवेदक चाहें तो पुनः आवेदन कर सकतें हैं।

L.R.D.C.
Simdega

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2021.11.25 17:30:27 +05:30
Location: 192.168.0.101

Scanned with CamScanner